सुदर्शन सेठी, आई.ए.एस.
प्रमुख शासन सचिव,
महिला एवं बाल विकास विभाग

बी.एन.शर्मा, आई. ए.एस.
प्रमुख शासन सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग

क्रमांक एफ–21/(15)/एनआरएचएम/वीएचएससी/2008/7814   दिनांक 13 MARCH, 12

परिपत्र

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य के प्रत्येक गॉव में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति का गठन किया गया है। पूर्व में इस समिति में स्वास्थ्य के साथ साथ स्वच्छता एवं स्वच्छ पेयजल के मुद्दों को सम्मिलित किया गया था तथा इस समिति का नाम ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पेयजल समिति रखा गया था।

आगामी समय में यह समिति ग्राम स्तर पर पोषण के मुद्दों के लिए भी कार्य करेगी। अतः इस समिति का नाम "ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति" (VHSWNC) में परिवर्तित किया गया है। यह समिति ग्राम पंचायत के अधीन कार्य करेगी।

"ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति" द्वारा वर्तमान में किये जा रहे कार्यो के अतिरिक्त पोषण के मुद्दों के लिए निम्न कार्य किये जायेंगे :–

- पोषण को स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मानते हुए ग्रामीणों को पोषण के प्रति जागरूक करना।
- महिला एवं बच्चों की पोषण की स्थिति तथा कुपोषण के संबंध में सर्वेक्षण करना।
- ग्राम स्तर पर उपलब्ध भोजन संबंधित प्रचलित अनुकूल प्रथाओं को बढावा देना तथा पोषण संबंधी गलत अवधारणाओं को बदलने में सहायता करना।
- ग्राम स्वास्थ्य प्लान में पोषण संबंधी जरूरतों को जोड़ना। ए.एन.एम., आशा सहयोगिनी, आगंनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला पर्यवेक्षक की सहायता से गांव में व्याप्त कुपोषण के कारणों की समीक्षा करना तथा कुपोषण को रोकने के लिए योजना तैयार करना।
- मातृ शिशु एवं पोषण दिवस पर दी जाने वाली सेवाओं की समीक्षा करना तथा इस गतिविधि का आयोजन प्रति माह हो रहा है, यह सुनिश्चित करना।
- बच्चों मे कुपोषण की पहचान करने में सहायता करना तथा नजदीकी कुपोषण उपचार केन्द्रों पर कुपोषित बच्चों को सेवा हेतु रैफर करने की व्यवस्था करना तथा कुपोषण के नियंत्रण हेतु कार्य करना।
- आगंनबाड़ी केन्द्र के कार्यों की समीक्षा करना तथा माता एवं बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए कार्य करना।
- स्वास्थ्य एवं पोषण सेवा संबंधी शिकायतों का निवारण करना।

(सुदर्शन सेठी)   (बी.एन.शर्मा)

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव–प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।

2. निजी सचिव– प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं इन्दिरा गाँधी नहर विभाग।

3. निजी सचिव–प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।

4. निजी सचिव–प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।

5. निजी सचिव–शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।

6. निजी सचिव–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।

7. निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग।

8. जिला [illegible]।

9. निदेशक, आर.सी.एच.।

10. निदेशक–राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

11. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा।

12. वित्तीय सलाहकार–राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।

13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिले।

14. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।

15. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।

16. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त जिले।

17. आई.टी. सलाहकार, सेन्ट्रल सर्वर रूम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।

परियोजना निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन